5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

133

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल अधिकारी महोदय मोती महल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :-

प्रस्तुत दिनांक

31/05/2017.

राजिक मोहम्मद आत्मज फैयाज मोहम्मद आयु लगभग 49 वर्ष निवासी शहीद वार्ड सिवनी थाना, तहसील व जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)

.... पुनरीक्षणकर्ता।

विरूद्ध

(1)शब्बीर मोहम्मद पालक फैयाज मोहम्मद आयु लगभग 42 वर्ष वर्तमान निवासी ग्राम खैरी (गुलदाद) चौकी पलारी थाना व तहसील केवलारी जिला सिवनी(म.प्र.)

(2)शाबिर मोहम्मद आत्मज फैयाज मोहम्मद आयु लगभग 57 वर्ष निवासी ग्राम किमाची चौकी छींदा थाना व तहसील केवलारी जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)

(3)जाहिद मोहम्मद आत्मज फैयाज मोहम्मद आयु लगभग 39 वर्ष निवासी रेंज आफिस के सामने धनौरा थाना व तहसील धनौरा जिला सिवनी (मध्य प्रदेश)

..................................उत्तरवादीगण।

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय सिवनी के न्यायालय में उत्तरवादी क्रमांक 1 के द्वारा फौती के आधार पर नजूल गढी वार्ड ब्लाक नम्बर 35 के प्लाट नम्बर 70/6, 7, 8, 9 पर अपना नाम नजूल अभिलेखों में दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण क्रमांक 154 अ–6/2009–10 प्रस्तुत किया था, जिसके पक्षकार शब्बीर मोहम्मद विरूद्ध शाबिर मोहम्मद वगैरा है, उक्त प्रकरण दिनांक 28/10/2016 को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, उक्त प्रकरण खारिज हो जाने के पश्चात उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उक्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर कायम करने के लिए आदेश 9 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिनांक 22/11/2016 को आवेदन पत्र दिया गया था, श्रीमान नजूल अधिकारी महोदय सिवनी ने पुनरीक्षणकर्ता व उत्तरवादी क्रमांक 2 एंव 3 को सुने बिना दिनांक 22/02/2017 को उक्त प्रकरण पुनः नम्बर पर कायम कर प्रकरण को विचारण में ले लिया है, जिससे दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता उक्त पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एंव आधारो पर सारवान न्याय हेतु प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है, कि पुनरीक्षणकर्ता के पिता फैयाज मोहम्मद के नाम पर नजूल गढी वार्ड ब्लाक नम्बर 35 के प्लाट नम्बर 70/6, 7, 8, 9 नजूल अभिलेखों पर दर्ज है।

2. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के पिता ने अपने जीवन काल में परिवारिक सदस्यों के समक्ष मौखिक हिबा कर नजूल गढी वार्ड ब्लाक नम्बर 35 के प्लाट नम्बर 70/6, 7, 8, 9 को पुनरीक्षणकर्ता को दे दिया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सिवनी/भू.रा./2017/1677

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से यह निगरानी नजूल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नजूल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को कलेक्टर जिला सिवनी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य <u>कलेक्टर जिला सिवनी</u>	